



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, बुधवार, 07 जनवरी, 2026 ई0

पौष 17, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या- 04 / XXXVI (3) / 2026 / 60(1) / 2025

देहरादून, 07 जनवरी, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा0 राज्यपाल ने ‘उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्या: 01 वर्ष-2026 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या— 01, वर्ष 2026)

(भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए:-

अध्यादेश

चूंकि राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिसके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 है। (2) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय:- (क) धारा 6 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे; (ख) धारा 2 के खण्ड (ii) और (iii), धारा 3 से धारा 5, धारा 7 से धारा 9 और धारा 14 से धारा 19 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे; (ग) धारा 2 के खण्ड (i) और धारा 10 से धारा 13 में उल्लिखित उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाए।
धारा 2 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, (i) खण्ड (61) के स्थान पर, 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- '(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आपूर्तिकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के सापेक्ष कर बीजक प्राप्त करता है, जिसमें धारा 25 में संदर्भित विशिष्ट व्यक्तियों के लिए या उसके निमित्त इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत कर के लिए दायी सेवाओं के सम्बन्ध में बीजक सम्मिलित है, और धारा 20 में दी गयी रीति में ऐसे बीजक के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करने के लिए दायी है;' (ii) खण्ड (69) में, - (क) उपखण्ड (ग) में, "नगरपालिका या स्थानीय निधि" शब्दों के स्थान पर "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे; (ख) उपखण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:- 'स्पष्टीकरण- इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए, - (क) "स्थानीय निधि" से किसी पंचायत क्षेत्र के सम्बन्ध में, लोक कृत्यों के निर्वहन के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है; (ख) "नगरपालिका निधि" से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के सम्बन्ध में, लोक कृत्यों के निर्वहन के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है;; (iii) खण्ड (116) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- '(116क) विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" से धारा 148क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या अन्य उसी प्रकार का चिह्नांकन, जो विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी

		सम्मिलित है ;।
धारा 12 का संशोधन	3.	"मूल अधिनियम" की धारा 12 में, उपधारा (4) विलोपित कर दी जाएगी।
धारा 13 का संशोधन	4.	"मूल अधिनियम" की धारा 13 में, उपधारा (4) विलोपित कर दी जाएगी।
धारा 17 का संशोधन	5.	"मूल अधिनियम" की धारा 17 में, उपधारा (5) में, खण्ड (घ) में, - (i) "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों के स्थान पर "संयंत्र और मशीनरी" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे और 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित समझे जाएंगे ; (ii) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- 'स्पष्टीकरण 2- खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी "संयंत्र या मशीनरी" के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ लगाया जाएगा तथा "संयंत्र और मशीनरी" के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा ;'
धारा 20 का संशोधन	6.	"मूल अधिनियम" की धारा 20 में, 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, उपधारा (1) और उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएंगी, अर्थात् :- "(1) माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के सापेक्ष या धारा 25 में संदर्भित सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत कर के लिए दायी सेवाओं के सम्बन्ध में बीजक सम्मिलित है, से धारा 24 के खण्ड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित होगा और वह ऐसे बीजकों के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करेगा। (2) इनपुट सेवा वितरक, उसके द्वारा प्राप्त किये गए बीजकों पर प्रभारित राज्य कर या एकीकृत कर का क्रेडिट, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर के उद्ग्रहण के अधीन रहते हुए सेवाओं के सम्बन्ध में राज्य या एकीकृत कर का क्रेडिट शामिल है, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाए, वितरित करेगा।"
धारा 34 का संशोधन	7.	"मूल अधिनियम" की धारा 34 में, उपधारा (2) के, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :- "परन्तु यह कि आपूर्तिकर्ता की आउटपुट कर देयता में कोई कटौती अनुज्ञप्त नहीं होगी, यदि- (i) जहाँ ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहाँ इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है; या (ii) अन्य मामलों में, ऐसी पूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमण कर दिया गया है।"
धारा 38	8.	मूल अधिनियम की धारा 38 में,

का संशोधन		(i) उपधारा (1) में, "स्वतःसृजित विवरण" शब्दों के स्थान पर "विवरण" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे; (ii) उपधारा (2) में,- (क) "के अधीन स्वतः जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "में निर्दिष्ट विवरण" शब्द रखे जाएंगे। (ख) खण्ड (क) में, "और" शब्द विलोपित कर दिया जायेगा ; (ग) खण्ड (ख) में, "पूर्ति का विवरण, जिसके सम्बन्ध में, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल की गयी उक्त पूर्ति के विवरण के आधार पर, ऐसा प्रत्यय जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा भागतः या पूर्णतः उपयोजित नहीं किया जा सकता है" शब्दों के स्थान पर "पूर्ति का विवरण, जिसके सम्बन्ध में, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल की गयी उक्त पूर्ति के विवरण के आधार पर, ऐसा प्रत्यय जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा भागतः या पूर्णतः उपयोजित नहीं किया जा सकता है, जिसमें सम्मिलित है" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे। (घ) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "(ग) ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि विहित किया जाए।"।
धारा 39 का संशोधन	9.	"मूल अधिनियम" की धारा 39 में, उपधारा (1) में, "और ऐसे समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर "ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
धारा 60 का संशोधन	10.	"मूल अधिनियम" की धारा 60 में, उपधारा (3) के, परंतुक में, "संयुक्त आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त आयुक्त ग्रेड-2 या संयुक्त आयुक्त ग्रेड-1" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
धारा 64 का संशोधन	11.	"मूल अधिनियम" की धारा 64 में, उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "संयुक्त आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त आयुक्त ग्रेड-1 या संयुक्त आयुक्त ग्रेड-2" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
धारा 67 का संशोधन	12.	"मूल अधिनियम" की धारा 67 में, उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "संयुक्त आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त आयुक्त ग्रेड-2" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
धारा 74क का संशोधन	13.	"मूल अधिनियम" की धारा 74क में, उपधारा (7) के, परंतुक में, "संयुक्त आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त आयुक्त ग्रेड-2" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
धारा 107 का संशोधन	14.	"मूल अधिनियम" की धारा 107 में, उपधारा (6) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु किसी कर की मांग को अन्तर्वलित किये बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।"
धारा 112 का संशोधन	15.	"मूल अधिनियम" की धारा 112 में, उपधारा (8) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु किसी कर की मांग को अन्तर्वलित किये बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।"
नयी धारा	16.	"मूल अधिनियम" की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित कर दी

122ख का अंतःस्थापन खोज और अनुसरण क्रियाविधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति	जाएगी, अर्थात् :- " 122ख. इस अधिनियम में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ धारा 148क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में संदर्भित कोई व्यक्ति उक्त धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करता है तो यह अध्याय 15 या इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त एक लाख रुपये या ऐसे माल पर संदेय कर के दस प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।"
नयी धारा 148क का अंतःस्थापन कतिपय मामलों के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि	17. "मूल अधिनियम" की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:- "148क (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा- (क) माल; (ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है, को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी। (2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में- (क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी; (ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है। (3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति,- (क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाएगा; (ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्रारूप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा; (ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रारूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा; (घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो विहित की जाए।"
अनुसूची 3 का संशोधन	18. "मूल अधिनियम" की अनुसूची 3 में,- (i) प्रस्तर 8 में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा और 01, जुलाई 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :- "(कक) विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भंडारित माल की किसी व्यक्ति को निर्यात के लिए या घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र हेतु निकासी से पूर्व आपूर्ति"; (ii) स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा और 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :- "स्पष्टीकरण-2- पैरा 8 के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, " भांडागार में रखे गए माल" पद का वही अर्थ होगा, जो उसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में समुनदेशित किया गया है।" (iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर दिया जाएगा और 01 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:- "स्पष्टीकरण 3 - पैरा 8 के खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए, "विशेष आर्थिक क्षेत्र", "मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र" और "घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में समुनदेशित किया गया है।"

संग्रहित कर का कोई प्रतिदाय नहीं	19. ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहित किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संग्रहित नहीं किया गया होता, यदि धारा 18 सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती।
----------------------------------	--

ले. ज. गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम,
एवीएसएम, वीएसएम (से.नि.)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
धनंजय चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

No. 04/XXXVI(3)/2026/60(1)/2025
Dated Dehradun, January 07, 2026

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Good and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025' (Uttarakhand Ordinance No. 01 of 2026).

As promulgated by the Governor on 05 January, 2026.

THE UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2025

[Uttarakhand Ordinance No. 01 of 2026]

(Promulgated by the Governor in the Seventy-Sixth year of the Republic of India)

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Uttarakhand Act. No.06 of 2017)-

Whereas the State Legislative Assembly is not in Session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and commencement	1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025. (2) Save as otherwise provided in this Ordinance, - (a) the provision mentioned in section 6 shall be deemed to have come into force on the 01st day of April, 2025; (b) the provisions mentioned in clause (ii) and (iii) of section 2, section 3 to section 5, section 7 to section 9 and section 14 to section 19 shall be deemed to have come into force on the 01st day of October, 2025; (c) the provisions mentioned in clause (i) of section 2 and section 10 to section 13 on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
Amendment of section 2	2. In the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Act), in section 2, - (i) for clause (61), with effect from the 1st day of April, 2025, the following clause shall be substituted, namely: - “(61) “Input Service Distributor” means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;”. (ii) in clause (69), — a. in sub-clause (c), for the words “municipal or local fund”, the words “municipal fund or local fund” shall be substituted; (b) after sub-clause (c), the following Explanation shall be inserted, namely: — ‘Explanation. —For the purposes of this sub-clause— (a) “local fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called; (b) “municipal fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a

		Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;’; (iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely: — ‘(116A) “unique identification marking” means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;’.
Amendment of section 12	3.	In section 12 of the Principal Act, sub-section (4) shall be omitted.
Amendment of section 13	4.	In section 13 of the Principal Act, sub-section (4) shall be omitted.
Amendment of section 17	5.	In section 17 of the Principal Act, in sub-section (5), in clause (d),— (i) for the words “plant or machinery”, the words “plant and machinery” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017; (ii) the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely: — ‘Explanation 2. —For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to “plant or machinery” shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to “plant and machinery”;’.
Amendment of section 20	6.	In section 20 of the Principal Act, with effect from the 1st day of April, 2025, sub-section (1) and sub-section (2) shall be substituted, as follows, namely: — “(1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices. (2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of state tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of state or integrated tax in respect of

		services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.”.
Amendment of section 34	7.	In section 34 of the Principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: — “Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the— (i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or (ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.”.
Amendment of section 38	8.	In section 38 of the Principal Act,— (i) in sub-section (1), for the words “an auto-generated statement”, the words “a statement” shall be substituted; (ii) in sub-section (2), — (a) for the words “auto-generated statement under”, the words “statement referred in” shall be substituted; (b) in clause (a), the word “and” shall be omitted; (c) in clause (b), for the words “details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37”, the words “details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37, which includes,” shall be substituted; (d) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:— “(c) such other details as may be prescribed.”.
Amendment of section 39	9.	In section 39 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words “and within such time”, the words “within such time, and subject to such conditions and restrictions” shall be substituted.
Amendment of section 60	10.	In section 60 of the Principal Act, in sub-section (3), in the proviso, for the words “Joint Commissioner”, the words “Joint Commissioner Grade-2 or Joint Commissioner Grade-1” shall be substituted.

Amendment of section 64	11.	In section 64 of the Principal Act, in sub-section (1) and sub-section (2), for the words "Joint Commissioner", the words "Joint Commissioner Grade-1 or Joint Commissioner Grade-2" shall be substituted.
Amendment of section 67	12.	In section 67 of the Principal Act, in sub-section (1) and sub-section (2), for the words "Joint Commissioner", the words "Joint Commissioner Grade-2" shall be substituted.
Amendment of section 74A	13.	In section 74A of the Principal Act, in sub-section (7), in the proviso, for the words "Joint Commissioner", the words "Joint Commissioner Grade-2" shall be substituted.
Amendment of section 107	14.	In section 107 of the Principal Act, in sub-section (6), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: — "Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty has been paid by the appellant."
Amendment of section 112	15.	In section 112 of the Principal Act, in sub-section (8), the following proviso shall be inserted, namely: — "Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of section 107 has been paid by the appellant."
Insertion of new section 122B Penalty for failure to comply with track and trace mechanism	16.	After section 122A of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely: — "122B. Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher."
Insertion of new section 148A Track and trace mechanism for certain goods	17.	After section 148 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely: — "148A. (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify, — (a) the goods; (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods, to which the provisions of this section shall apply. (2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1), — (a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and

	(b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein. (3) The persons referred to in sub-section (1), shall, — (a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner; (b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner; (c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner; (d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.”.
Amendment of Schedule III	18. In Schedule III of the Principal Act, — (i) in paragraph 8, after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely: — “(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;”; (ii) For Explanation 2, the following Explanation shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017; namely: - “Explanation-2: For the purposes of clause (a) of paragraph 8, the expression “warehoused goods” shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962.”. (iii) after Explanation 2, the following Explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely: — “Explanation 3. —For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions “Special Economic Zone”, “Free Trade Warehousing Zone” and “Domestic Tariff Area” shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.”.
No refund of tax collected	19. No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had section 18 been in force at all material times.

LT GEN GURMIT SINGH,
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd)
Governor, Uttarakhand.

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,
Principal Secretary.